

ईन्द्र सिंह बनाम सत्यवीर सिंह वगैरे
मु०नं० 179/2019
दावा अ०धा० 53, 188

दिनांक - 14.12.2020 वकील वादीगण उपरिथत। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 52, 134 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 6.61 है० वाके ग्राम झाझड़ियों की ढाणी का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भूअ./2016/1943 दिनांक 18.09.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

